

आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, नरेन्द्रनगर, कुमारगंज, अयोध्या।

पत्रांक-ए.एन.डी.यू.ए.टी.-07/आशु./मानव सम्पदा/26/2306
सेवा में,

दिनांक: 26 फरवरी, 2026

1. समस्त अधिष्ठाता/निदेशक
2. सह अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय कोटवा, आजमगढ़
3. कार्यकारी अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय करनैलगंज गोण्डा
4. कुलसचिव
5. वित्त नियंत्रक
6. समस्त प्रभारी अधिकारी, शोध एवं प्रसार केन्द्र द्वारा सम्बन्धित निदेशक
7. प्रभारी अधिकारी, परिसर चिकित्सालय/सुरक्षा/वाहन/सम्पत्ति अनुभाग
8. कुलपति के सचिव
9. अधिशाषी अभियन्ता (सिविल), निर्माण निदेशालय
10. पुस्तकालयाध्यक्ष, नेहरू पुस्तकालय
11. उप भण्डार क्य अधिकारी, केन्द्रीय क्य भण्डार

विषय- मानव सम्पदा पोर्टल पर राज्य कर्मचारियों द्वारा नियमानुसार चल-अचल सम्पत्ति का विवरण दर्ज कराया जाना।

महोदय,

कृपया उपयुक्त विषयक पत्र सं० ए.एन.डी.यू.ए.टी.-07/आशु./मानव सम्पदा/2026/2143 दिनांक-04 फरवरी, 2026 का सन्दर्भ ग्रहण करना चाहें, जो कि विश्वविद्यालय के समस्त विभागों/केन्द्रों पर कार्यरत अधिकारियों/शिक्षकों/वैज्ञानिकों/कार्मिकों का चल-अचल सम्पत्ति विवरण (IPR) मानव सम्पदा पोर्टल पर प्रत्येक दशा में दिनांक-06.02.2026 तक दर्ज कराते हुए संलग्न प्रारूप पर प्रमाण-पत्र अधोहस्ताक्षरी कार्यालय एवं एक प्रति वित्त नियंत्रक कार्यालय को उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्गत किया गया था, तत्समय मानव सम्पदा पोर्टल पर उक्त विवरण उपलब्ध कराये जाने की सुविधा उपलब्ध न होने के कारण कार्मिकों द्वारा कार्यवाही पूर्ण नहीं की जा सकी। उक्त के परिप्रेक्ष्य में अवगत कराना है कि प्रमुख सचिव, कार्मिक अनुभाग-5, उ०प्र० शासन के पत्र सं० 4/2026/1251/744/2026 दिनांक-26 फरवरी, 2026 (प्रति संलग्न) द्वारा सम्बन्धित कार्मिकों को चल-अचल सम्पत्ति का विवरण मानव सम्पदा पोर्टल पर दर्ज करने हेतु एक अन्तिम अवसर प्रदान प्रदान किया गया है।

अतः उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश प्राप्त हुआ है कि आप अपने तथा अपने नियंत्रणाधीन समस्त विभागों/केन्द्रों पर कार्यरत अधिकारियों/शिक्षकों/वैज्ञानिकों/कार्मिकों का चल-अचल सम्पत्ति विवरण मानव सम्पदा पोर्टल पर प्रत्येक दशा में दिनांक-28.02.2026 तक दर्ज कराते हुए संलग्न प्रारूप पर प्रमाण-पत्र प्रशासनिक कार्यालय एवं एक प्रति वित्त नियंत्रक कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में शासनादेश दिनांक-26 फरवरी, 2026 में निहित निर्देशानुक्रम में सम्बन्धित कार्मिक के विरुद्ध कार्यवाही सुनिश्चित कर दी जायेगी जिसके लिए सम्बन्धित कार्मिक स्वयं जिम्मेदार होगी।

संलग्नक-यथोक्त।


भवदीय

कुलसचिव

पत्रांक-ए.एन.डी.यू.ए.टी.-07/आशु./मानव सम्पदा/26/

तद् दिनांक

प्रतिलिपि विभागाध्यक्ष, सांख्यिकी विभाग को इस आशय से प्रेषित कि उक्त पत्र एवं प्रारूप को विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।


कुलसचिव

प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में कुल..... अधिकारी/शिक्षक/वैज्ञानिक/कार्मिक कार्यरत है तथा समस्त अधिकारी/शिक्षक/वैज्ञानिक/कार्मिक द्वारा शासन के पत्र सं० 4/2026/1251/744/2026 दिनांक-26 फरवरी, 2026 में चल-अचल सम्पत्ति विवरण मानव सम्पदा पोर्टल पर तथा शासन द्वारा निर्धारित नियमों, दिशा-निर्देशों एवं समय सीमा के अर्न्तगत विधिवत रूप से स्वयं लाग-इन कर अपलोड/प्रविष्टि कर दिया गया है।

उक्त अधिकारी/शिक्षक/वैज्ञानिक/कार्मिक द्वारा प्रस्तुत चल-अचल सम्पत्ति विवरण वित्तीय वर्ष....2025-26 के लिए मानव सम्पदा पोर्टल पर सफलतापूर्वक दर्ज किया गया है जो वर्तमान में उक्त पोर्टल पर उपलब्ध है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि चल-अचल सम्पत्ति विवरण अपलोड करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित अधिकारी/शिक्षक/वैज्ञानिक/कार्मिक की स्वयं की है तथा कार्यालय स्तर पर उपलब्ध अभिलेखों एवं मानव सम्पदा पोर्टल के अवलोकन के उपरान्त यह प्रमाण-पत्र जारी किया जा रहा है।

यह प्रमाण-पत्र कार्यालयीय प्रयोजन हेतु जारी किया जाता है।

दिनांक-

स्थान-

हस्ताक्षर-.....

नाम-.....

पदनाम-.....

कार्यालय/विभाग का नाम-.....

(कार्यालय/विभाग/पदनाम की मोहर)

प्रेषक,

एस०पी० गोयल,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, उ०प्र० शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष, उ०प्र०।
3. समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उ०प्र०।

कार्मिक अनुभाग-5

लखनऊ : 26 फरवरी, 2026

विषय:- मानव सम्पदा पोर्टल पर राज्य कर्मचारियों द्वारा नियमानुसार चल-अचल सम्पत्ति का विवरण दर्ज कराया जाना।

महोदया / महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या- 26/2025/865/सैतालीस-का-5-2025, दिनांक 24 नवम्बर, 2025 द्वारा उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 के नियम-24 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य के समस्त कार्मिकों को अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण अनिवार्य रूप से मानव सम्पदा पोर्टल पर दिनांक 31 जनवरी, 2026 तक अपलोड करने तथा शासनादेश संख्या- 01/2026/1420/सैतालीस-का-5-2025, दिनांक 06 जनवरी, 2026 द्वारा जिन कार्मिकों द्वारा नियमानुसार पोर्टल पर अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण/ सूचना दिनांक-31 जनवरी, 2026 तक अपलोड की जाएगी, उनको ही माह जनवरी, 2026 का देय वेतन फरवरी, 2026 में भुगतान किये जाने की कार्यवाही संबंधित विभाग के नियन्त्रक प्राधिकारी / आहरण वितरण अधिकारी द्वारा किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

2- तत्क्रम में शासनादेश संख्या- 33/सैतालीस-का-5-2026, दिनांक 02 फरवरी, 2026 द्वारा पोर्टल पर वांछित सूचना अपलोड न करने के उपरान्त भी किसी कार्मिक का वेतन आहरित किया गया है, तो उक्त के संबंध में विभाग स्तर पर संगत नियमों के अन्तर्गत आहरण वितरण अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित कर कार्यवाही किये जाने तथा कृत कार्यवाही से एक सप्ताह में अवगत कराने के साथ-साथ जिन कार्मिकों द्वारा निर्धारित अवधि तक चल-अचल सम्पत्ति का विवरण मानव सम्पदा पोर्टल पर दर्ज नहीं किया गया है, उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं।

3- उक्तानुसार स्पष्ट निर्देश एवं चल-अचल सम्पत्ति का विवरण दर्ज करने हेतु पर्याप्त समयावधि होने के उपरान्त भी एन०आई०सी० से प्राप्त डाटा के अनुसार दिनांक 31 जनवरी, 2026 तक 47,816 कार्मिकों द्वारा चल-अचल सम्पत्ति का विवरण पोर्टल पर दर्ज नहीं होना पाया गया है। उक्त के दृष्टिगत संबंधित कार्मिकों को चल-अचल सम्पत्ति का विवरण मानव सम्पदा पोर्टल पर दर्ज करने हेतु दिनांक 26 फरवरी, 2026 से दिनांक 10 मार्च, 2026 तक एक अवसर निम्न प्रतिबंधों के अधीन प्रदान किया जाता है :-

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(II) जिन कार्मिकों द्वारा निर्धारित अवधि दिनांक 31 जनवरी, 2026 तक चल-अचल सम्पत्ति का विवरण मानव सम्पदा पोर्टल पर दर्ज नहीं किया गया है, उनके विरुद्ध निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए:-

1. उक्त कार्मिकों के विरुद्ध नियमानुसार विभागीय कार्यवाही की जाए।
2. उक्त कार्मिकों की वर्तमान चयन वर्ष में पदोन्नति पर विचार न किया जाए।
3. उक्त कार्मिकों को इस वर्ष ACP न दिया जाए, यदि उनको इस वर्ष ACP देय हो।
4. उक्त कार्मिकों को विदेश यात्रा, प्रतिनियुक्ति आदि हेतु Vigilance clearance न दी जाए।

(III) कार्मिकों द्वारा पोर्टल पर वांछित सूचना अपलोड न करने के उपरान्त भी यदि जनवरी, 2026 का वेतन आहरित हुआ हो तो, संबंधित आहरण वितरण अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार विभागीय कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

4- उन कार्मिकों, जो दिनांक 10 मार्च, 2026 तक अपना चल-अचल सम्पत्ति का विवरण मानव सम्पदा पोर्टल पर दर्ज कर देते हैं, उन्हें ऐसा करने के तुरन्त बाद उनका माह जनवरी, 2026 व फरवरी, 2026 का वेतन भुगतान कर दिया जाए। इस हेतु संबंधित आहरण वितरण अधिकारी उत्तरदायी होगा।

5- कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। उक्त निर्देशों के पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी विभागाध्यक्ष तथा विभागीय प्रभारी अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव की होगी।

भवदीय

(एस०पी० गोयल)

मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. विशेष कार्याधिकारी, मा० राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2. अपर मुख्य सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।
3. प्रमुख स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश।
4. प्रमुख सचिव, विधानसभा / विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
5. महानिदेशक, उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबन्धक अकादमी, अलीगंज, लखनऊ।
6. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
7. सचिव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज।
8. सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
9. निदेशक कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10. समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
11. प्रभारी, आई०टी० प्रकोष्ठ, उत्तर प्रदेश सचिवालय को इस आशय से प्रेषित कि ई-ऑफिस डैसबोर्ड पर प्रदर्शित करना चाहें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

12. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी०, लखनऊ को उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु पोर्टल पर आवश्यक व्यवस्था कराने हेतु।
13. श्री ए०के० रावत, निदेशक (आई०टी०), एन०आई०सी०, योजना भवन, लखनऊ उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु पोर्टल पर आवश्यक व्यवस्था कराने हेतु।
14. गार्डफाइल।

आज्ञा से,
(एम० देवराज)
प्रमुख सचिव।

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।